जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 57/2018 केप्टन सुरेन्द्र मोहन सूद (रिटायर्ड) पुत्र श्री जगननाथ सूद, चक 20 आरबी, तहसील रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं जिला कलक्टर(स्थापना), श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26–09–2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री केप्टन सुरेन्द्र मोहन सूद आज उपस्थित नही है। जबकि दिनांक 04.09.2018 को उपस्थित आये थे। विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित नही है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 04.06.2018 को प्रषित किया जिसमें चाही गई सूचना उपलब्ध न करवाये जाने के कारण अपीलार्थी के द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है और जिसमें वांछित सूचना उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की गई है । उक्त प्रार्थना पत्र 04.06.2018 से निम्न सूचनाए चाही थीः–

निवेदन है कि उपरोक्त शिकायत में प्रार्थी ने श्री मान अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्तकता) श्री गंगानगर के नोटिस कमांकः–एफ 12(1) ( ) सत/2018/783 दिनांक 09.05.2018 में अपना उतर दिनांक 17.05.2018 को पेश कर दिया और बयान भी दिये अतः निवेदन है कि इस सम्बन्ध में भेजी गई प्रशासन की रिपोर्ट की कापी अंतर्गत RTI Act 2005 कृप्या प्रार्थी को निम्न पतें पर भेज दी जाये कियोंकि प्रार्थी अपने निजी सर्विस मैट्र कोर्ट केस के सम्बन्ध में आज कल निम्न पतें पर आया हुआ है। हाल पता :
कैप्टन सुरेन्द्रमोहन सूद मार्फत श्री राहुल सूद
203–GH 17 SKYLAND; Sector-56
GURGAON (Haryana)

अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 04.06.2018 के सदर्भ में लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ने अपीलार्थी/प्रार्थी को अपने पत्र 6672 दिनांक 19.06.2018 द्वारा निम्न प्रकार से उत्तर दिया।

क्रं सं	आवेदक द्वारा चाही गई सूचना	आवेदक द्वारा चाही गई सूचना का जवाब
1	(शिकायत तत्कालिन तहसीलदार रायसिंहनगर श्री बजरंगलाल मीणा) उपरोक्त शिकायत में प्रार्थी ने श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्तकता), श्रीगंगानगर के नोटिस क्रमांक एफ12(1)( )सत/2018/783 दिनांक 09.05.2018 को पेश कर दिया और बयान भी दिये अतः निवेदन है कि इस संबंध में भेजी गई प्रशासन की रिपोर्ट की कापी अन्तर्गत RTI Act 2005	आप द्वारा चाही गई सूचना शिकायत एवं की गई कार्यवाही से संबंधित है। अत। सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत वांछित सूचना नियमानूसार देय नहीं है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नयी सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना का सम्बन्ध उसके द्वारा लोकायुक्त को प्रस्तुत शिकायत पत्र की जांच रिर्पोट से सम्बन्धित है इसलिए प्रार्थी की उक्त शिकायत के सम्बन्ध मे लोकायुक्त महोदय कों प्रेषित की गई जांच रिर्पोट की प्रमाणित प्रति प्रार्थी को उपलब्ध करवाये जाने में किसी प्रकार की कोई आपति नही होनी चाहिए। इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार करने योग्य है

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) को आदेश दिया जाता है कि लोकायुक्त महोदय जयपुर को लोकायुक्त शिकायत संख्या F.11(644)/LAS/2016 Dated 20.11.2018 के संदर्भ में प्रषित जांच रिपोर्ट की प्रति अपीलार्थी को नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आादेश की एक प्रति अपीलार्थी को व सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर,श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर